FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

...... कूड़ाराम ...... बनाम ...... गुमानी देवी वगै. ......

मुकदमा ...... प्रा० पत्र टी० आई० ...... मुकदमा नं. ...... FT-41/2019 ...... सन् 20/19

ा हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13/06/19	वकील प्रार्थी श्री बनवारी लाल जांगिड़ ने हाजिर अदालत होकर प्रा० पत्र टी० आई० पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तन ग्राम लाखनी अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 548 पर प्रार्थी वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण गलत बातोंरी की आड़ में प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार किसी भी किस्म का नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण एवं उसके मददगार ताकत एवं लाठी के बल पर वादग्रस्त कृषि भूमि पर ताकत एवं लाठी के बल पर कब्जा करके प्रार्थी को उसकी पैतृक काश्त काश्त की कृषि भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि को भू-माफियाओं को विक्रय अन्तरण करके भूमि को कृषि से अकृषि में तब्दील करके खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। अतः वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मौका कमिश्नर नियुक्त करके मंगवाने की कृपा करें। मिसल व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा किये गये निवेदन पर सगौर मनन किया गया जिससे	827-840 13/6/19

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में नायब तहसीलदार खण्डेला को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप तत्र ग्राम लाखनी अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 548 रकबा 0.68 हे० में विवादित पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में एवं मौका निरीक्षण कर वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान भौतिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। मौका कमिश्नर फीस ₹ 700/- शब्दें सात सौ रुपये मात्र प्रार्थी से वसूल कर प्राप्ति रसीद मय मौका-कमिश्नर रिपोर्ट प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 12/07/2019 से पूर्व न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वास्ते प्राप्त होने मौका-कमिश्नर रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु मिसल दिनांक 12/07/2019 को पेश हो।	
28/06/19	वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत पेशी से पूर्व आज तलब की गई। चूंकि प्रा० पत्र टी० आई० से संबंधित मूल वादपत्र निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र टी० आई० में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner